

सं० सं० 14/एम 11-1/14
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सर सुन्दर लाल हॉस्पिटल,
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस,
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी,
वाराणसी।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.4.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	बी०एन० प्रसाद (बैद्यनाथ प्रसाद) पिता-स्व. कैलाश प्रसाद ग्राम+पो०+थाना-लौरीया जिला-प० चम्पारण हौस्पिटल नं०-1031/08	कैंसर रोग	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	राहुल पिता-देव मुनी सिंह ग्राम-बैरी बांध पो०-धनेज थाना-करगहर जिला-रोहतास, सासाराम हौस्पिटल नं०-1148	कैंसर रोग	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	अजय कुमार पिता-केशो प्रसाद राम ग्राम-बाली पोस्ट-अदई थाना-कोंच जिला-गया हौस्पिटल नं०-7147/14	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,10,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) रुपये का क्रास चेक सं०.....
.....850019.....मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-


(डा0 राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 553 (14)

पटना, दिनांक - 11-5-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
8.5.15

सं० सं० 14/एम 11-1/14

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार,पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान

राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.4.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सुजय कुमार गुप्ता पिता-राम लाल प्रसाद ग्राम-अदमापुर पोस्ट-तोरनी थाना-शिव सागर जिला-रोहतास सी.आर नं०-2015059650	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	अमित कुमार पिता-ललीत साह ग्राम-अब्बुचक पोस्ट+थाना-सरेया जिला-मुजफ्फरपुर सी.आरनं०-2014418801	ब्रेन ट्युमर रोग	₹ 25,000 /-(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	अजय कुमार पिता-लाल बाबु राय ग्राम-विश्वनाथपुर पोस्ट+थाना-डुमरा जिला-सीतामढ़ी सीआर नं०-2015146641	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,25,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,25,000 /-(तीन लाख पच्चीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 850022 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई०एम०एस०पी०ई०डी० खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस०जी०पी०जी०आई०,RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।

